जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　दिनॉक 12-09-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

बहला – फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 285/20 धारा 363/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता तनवीर आलम पुत्र गुलाम किविरिया निवासी कर्री थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग
लड़की को दिनांक 27.08.2020 को बहला – फुसलाकर भगा ले गया तथा दुष्कर्म की घटना कारित की गयी जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनॉक 07-09-2020 को अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमे आज दिनॉक 12-09-2020 को थाना महुली पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

03 अदद अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक - एक अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तगण नाम पता 1- धर्मेन्द्र पुत्र फूलचन्द निवासी मगलहिया 2- इब्राहिम उर्फ मगरु पुत्र सदरे आलम निवासी अमरडोभा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 349/20 व 350/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त नाम पता संदीप साहनी पुत्र दयाशंकर निवासी बाजारडीह थाना फरेन्दा जनपद महराजगंज को गिरफ्तार कर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 87/20 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 10-05 ली0(कुल 15 ली0) अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्तगण नाम पता 1-सांवर पुत्र श्यामबली निवासी टीकरी टोला झलवा 2- बृजभान पुत्र विश्वनाथ केवट निवासी बीमापार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 255 / 2020 व 256/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1489 द्वारा लावारिश मिले बच्चे को उसके परिजनों के किया गया सुपुर्द – पीआरवी 1489 को थाना महुली क्षेत्रान्तर्गत तिलठा से इवेन्ट संख्या 00830 से लावारिश बच्चा मिलने के सम्बन्ध सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में पहुँचकर लावारिश बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा थाना महुली को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर लावारिस बच्चे को अपने कब्जे में लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा उसके साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 हृदयानन्द तिवारी,आरक्षी फूलबदन यादव, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 16 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 14 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।